न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/4402/2006/टोंक

1— श्रीमती रूकमा बेवा कालूराम,
2— बालकिशन पुत्र कालूराम,
3— रादयाल पुत्र कालूराम,
4— भूरी पुत्री कालूराम,
5— दयाली पुत्री कालूराम,
समस्त जाति मीणा, निवासी थडोली, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक ।

...अपीलान्टस

बनाम

1— बद्रीलाल पुत्र रामदेव,
2— प्रभूदेव पुत्र रामदेव,
3— कैलाश पुत्र रामदेव,
समस्त जाति कुम्हार, निवासी भासू, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक ।
4— भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बघेरा, जरिये मैनेजर, तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।
5— राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार टोडारायसिंह, जिला टोंक ।

...रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री सी0आर0 मीणा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री अजीत सिंह राठोड़, अभिभाषक अपीलान्टस ।
श्री वी0पी0 सिंह राजावत, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स ।

————————

निर्णय

दिनांकः—10.11.2022

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2006 जो की विद्वान भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने अपील संख्या 171/2004 बउनवान बद्रीलाल व अन्य बनाम रूकमा व अन्य में पारित किया गया के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण/रेस्पो0 ने एक राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदार सहायक कलक्टर, टोडारायसिंह के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर साबिक 1/1/5 रकबा 1—7—0, खसरा नंबर 1/1/7 रकबा 0—11—00, खसरा नंबर 22/1/4 रकबा 2—3—0 ग्राम थड़ौली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में अवस्थित है, जो घासीलाल, रामनिवास, रामेश्वर पुत्रान छीतर व हस्तु बेवा छीतर, जाति लुहार के कब्जे काश्त की थी । उक्त आराजियात को वादीगण/रेस्पो0 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 10.12.1997 एवं 15.12.1993 को क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया लेकिन बंदोबस्त चाह होने के कारण खसरा नंबर 1/1/5 का नामांतकरण तस्दीक नहीं हुआ जबकि खसरा नंबर 1/1/7 व 22/1/4 का नामांतकरण संख्या 91 दर्ज होकर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज हो गई है । साबिक खसरा नंबर 1/1/5, 1/1/7, 22/1/4 के हाल खसरा नंबर 13 रकबा 1.05 है0 बने है जिसे बंदोबस्त विभाग ने गलत रूप से प्रतिवादीगण/अपीलांटस के नाम बहैसियत खातेदार दर्ज कर दिया, जो वादीगण को बेदखल करने की धमकी देते है । अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे । सहायक कलक्टर, टोडारायसिंह ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2002 को वादीगण/रेस्पो0 का वाद खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर वादीगण/रेस्पो0 ने प्रथम अपील भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में पेश की जो निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2006 को स्वीकार कर वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया गया । भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2006 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड होकर काबिल निरस्तनीय है । वादीगण/रेस्पो0 ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील लगभग 2 वर्ष 4 माह बाद भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की थी । वादीगण/रेस्पो0 ने मियाद प्रार्थना पत्र में विलंब बाबत् कोई स्पष्टीकरण या संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किए ना ही अभिभाषक द्वारा रेस्पो0 को निर्णय की सूचना नहीं दिए जाने बाबत् अभिभाषक का शपथ पत्र ही पेश किया इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय ने अपील को अंदर मियाद मानकर अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित

की है । वादीगण एक तरफ तो वाद पत्र में खसरा नंबर 1/1/7 एवं खसरा नंबर 22/1/4 का दौराने बंदोबस्त नामांतकरण तस्दीक होना अंकित कर रहे है वहीं दूसरी तरफ खसरा नंबर 1/1/5 का नामांतकरण होने से इंकार कर रहे है, जो विरोधाभासी कथन है । इसी प्रकार वादीगण/रेस्पो0 जहां खसरा नंबर 1/1/7 एवं 22/1/4 का नामांतकरण संख्या 91 उनके नाम तस्दीक होना अंकित कर रहे है वही खसरा नंबर 1/1/5, खसरा नंबर 1/1/7 तथा 22/1/4 के हाल खसरा नंबर 13 का अंकन प्रतिवादीगण/अपीलांटस के नाम दर्ज होना बता रहे है जो कतई संभव न हीं है क्योंकि एक ही भूमि खसरा नंबर 1/1/7, 22/1/4 का दो व्यक्तियों के नाम पृथक–पृथक अमल दरामद नहीं किया जा सकता है । इस महत्वपूर्ण तथ्य को अपीलीय न्यायालय ने नजरअंदाज कर वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । वादीगण/रेस्पो0 बंदोबस्त विभाग द्वारा पूर्व प्रविष्टियों को परिवर्तित करना अपने वाद पत्र में मान रहे है जबकि बंदोबस्त से पूर्व की ऐसी कोई जमाबंदी की प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई जिससे प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल में अंकित खसरा नंबरान की पुष्टि होती हो कि मिलान क्षैत्रफल में अंकित खसरा नंबरान के साबिक खसरा नंबर के वादीगण के विक्रेता खातेदार काश्तकार थे । यही नहीं बरवक्त विक्रय विक्रेतागण के नाम खातेदारी दर्ज नहीं थी एवं ना ही विक्रेतागण को पंजीकरण दिनांक को विवादित आराजियात विक्रय करने का कोई अधिकार ही था । उक्त बिन्दु पर परीक्षण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया था, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बंदोबस्त से पूर्व एवं विक्रय दिनांक को विक्रेतागण की खातेदार सिद्ध नहीं होने के बावजूद तथ्यों को तोड़–मरोड़कर अपने निर्णय का संपूर्ण आधार बंदोबस्त की प्रविष्टि पर केन्द्रित करते हुए गैर कानूनी निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिल निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादीगण/अपीलांटस अनूसूचित जनजाति का सदस्य है जो विवादित आराजियात पर कदीम से काबिज काश्त चले आ रहे है क्योंकि विवादित भूमि साबिक खसरा नंबर 22 मिन एवं 1 मिन उनकी पुश्तैनी खातेदारी की भूमि रही है, उसी पर वे काबिज काश्त चले आ रहे है । वादीगण/रेस्पो0 ने मिन खसरा नंबरों का अवांछित रूप से लाभ प्राप्त करने की मंशा से गलत तथ्यों पर आधारित वाद पेश किया है जबकि अनूसूचित जनजाति की खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदार अधिकार प्राप्त नही हो सकते है । इसके बावजूद प्रथम अपीलीय न्यायालय ने धारा 42 राज0काश्त0अधि0 1955 का उल्लघंन कारित करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिल निरस्तनीय है । वाद प्रस्तुति की दिनांक को विवादित आराजी पर वादीगण/रेस्पो0 का कब्जा काश्त नही था, वादीगण ने मात्र उद्घोषणा

खातेदार का वाद पेश किया था जो कब्जे के अभाव में संधारण योग्य नहीं था। इसी आधार पर परीक्षण न्यायालय ने वादीगण का वाद निरस्त किया था । वादीगण/रेस्पो0 को कभी भी कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ, इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय ने वादीगण/रेस्पो0 का वाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत डिक्री किया है, जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2006 निरस्त किया जावे तथा सहायक कलक्टर, टोडारायसिंह द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2002 यथावत् रखा जावे । विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 (22) 2015 पेज 134 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया ।

6– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि वादीगण/रेस्पो0 ने दो भिन्न–भिन्न विक्रय पत्रों के जरिये भूमि खसरा नंबर 1/1/5 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 1/1/7 रकबा 11 बिस्वा व खसरा नंबर 22/1/4 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम थडोली विक्रय पत्र दिनांक 10.02. 1992 व 15.12.1993 को क्रय की थी । इनमें से हाल खसरा नंबर 13 साबिक खसरा नंबर 1/1/5 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा का नामांतकरण वादीगण के नाम सेटलमेंट होने के कारण नहीं हो सका था । वादीगण ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष जमाबंदी संवत् 237 पेश की थी जिसमें यह भूमि छीतर लुहार के वारिसान के नाम अंकित थी और उससे जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15. 12.1993 को यह भूमि क्रय की है । इस तथ्य को स्वंय परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में माना इसके बावजूद वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । जहां तक सेटलमेंट विभाग का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि कोई भी सेटलमेंट अधिकारी या कर्मचारी बिना सक्षम न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के राजस्व रिकार्ड की पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित नहीं कर सकते है । इसके बावजूद सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री के विवादित भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया । नक्शा शीट नई व पुरानी के मिलान से भी यह स्पष्ट है कि पूर्व खसरा नंबर 1 व 22 मिन से नवीन खसरा नंबर 13 ही बने है । उपरोक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7– हमनें योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया।

8– पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि वादीगण/रेस्पो0 ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदार सहायक कलक्टर, टोडारायसिंह के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध पेश कर

कथन किया कि आराजी खसरा नंबर साबिक 1/1/5 रकबा 1–7–0, खसरा नंबर 1/1/7 रकबा 0–11–00, खसरा नंबर 22/1/4 रकबा 2–3–0 ग्राम थड़ौली, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में अवस्थित है, जो घासीलाल, रामनिवास, रामेश्वर पुत्रान छीतर व हस्तु बेवा छीतर, जाति लुहार के कब्जे काश्त की थी । उक्त आराजियात को वादीगण/रेस्पो0 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 10.12.1997 एवं 15.12.1993 को क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया लेकिन बंदोबस्त चाह होने के कारण खसरा नंबर 1/1/5 का नामांतकरण तस्दीक नहीं हुआ जबकि खसरा नंबर 1/1/7 व 22/1/4 का नामांतकरण संख्या 91 दर्ज होकर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज हो गई है । साबिक खसरा नंबर 1/1/5, 1/1/7, 22/1/4 के हाल खसरा नंबर 13 रकबा 1.05 है0 बने है जिसे बंदोबस्त विभाग ने गलत रूप से प्रतिवादीगण/अपीलांटस के नाम बहैसियत खातेदार दर्ज कर दिया । इस संबंध में पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी संवंत 2037–40 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा ंनबर 1/1/7 व 22/1/4 रकबा 0–11 व 20–03 बीघा छीतर पुत्र हजारी लुहार के नाम दर्ज थी । खातेदार घासीलाल, रामनिवास, रामेश्वर पुत्रान छीतर व हस्तु बेवा छीतर, द्वारा निष्पादित दो विक्रय पत्रों के आधार पर विवादित आराजियात जरिये नामांतकरण संख्या 91 दिनांक 25.05.1993 से उक्त भूमि बद्रीलाल, प्रभूलाल, कैलाश पिसरान रामदेव, जाति कुम्हार साकिन भटेड़ा के नाम स्वीकार हुआ है किन्तु खसरा नंबर 1/1/5 रकाब 1 बीघा 7 बिस्वा का नामांतकरण क्रेतागण/वादीगण के पक्ष में भू–प्रबंध कार्यवाही चालू रहने से क्रेतागण के पक्ष में तस्दीक नहीं हुआ था । तत्पश्चात् भू–प्रबंध की कार्यवाही समाप्त होने पर उक्त भूमि पुनः बिना किसी सक्षम न्यायालय के कालूराम पुत्र औंकार मीणा के नाम दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई विधिक अधिकार नहीं था । नक्शा शीट नई व पुरानी के मिलान से भी स्पष्ट है कि पूर्व खसरा ंनबर 1 व 22 मिन से नवीन खसरा नंबर 13 ही बनना स्पष्ट है । परीक्षण न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए वादीगण/रेस्पो0 का वाद खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादीगण/रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् है तथा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नही होती है । उक्त के परिपेक्ष्य में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

9— परिणामत् अपील अपीलांटस खारीज की जाती है तथा विद्वान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2006 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सी0आर0 मीणा)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष